प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति,
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद– गोण्डा, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./11/2015–16/8162 दिनांकः 16-12-16

विषयः जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय के संबंध में

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या मु0चि0अ0/एन.एच.एम./आर.बी.एस.के./2014–15/7791 दिनांक 21 जून 2016 एवं मु0चि0अ0/एन.एच.एम./आर.बी.एस.के./2014–15/11556 दिनांक 26 अगस्त 2016 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के क्रम में जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा कर्मियों के लंबित मानेदय (22 दिसम्बर 2014 से 31 मार्च 2015 तक) की धनराशि अवमुक्त की जा रही है, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना है।

चिकित्सा अधिकारी (आयुष), ए.एन.एम. एवं फामासिस्ट के मानदेय–

वित्तीय वर्ष 2014–15 में ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम्स में कार्यरत आयुष चिकित्सकों, ए.एन.एम. एवं फार्मासिस्टों हेतु मानदेय की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है।

FMR Code	Detail of HR	No. of staff	Honoraria per month	Honoraria from 22.12.14 to 31.12.14	Honoraria from 01.01.15 to 31.03.15	Total funds required	Committed at District level for 2016-17	Total fund release to DHS
1	2	3	4	5	6		7	8 (6-7)
A.8.1.7.4.1	MO-AYUSH	59	24000	456774	4248000	4704774	576000	4128774
A.8.1.7.4.2	ANMs	32	10500	108387	1008000	1116387	0	1116387
A.8.1.7.4.3	Pharmacist	32	13500	139355	1296000	1435355	0	1435355
			Total	**704516**	**6552000**	**7256516**	**576000**	**6680516**
					Rs. in lacs			**66.81**

मानदेय की धनराशि का प्राविधान आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल के उक्त एफ.एम.आर. कोड पर किया गया है।

अवगत कराना है कि 2 एम.बी.बी.एस. तथा 57 आयुष चिकित्सक के सापेक्ष अनुमन्य 59 आयुष चिकित्सकों एवं 27 स्टॉफ नर्स तथा 5 ए.एन.एम. के सापेक्ष अनुमन्य 32 ए.एन.एम. हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। चूंकि तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा द्वारा 59 आयुष चिकित्सकों के सापेक्ष 57 आयुष तथा 2 एम.बी.बी.एस चिकित्सक एवं 32 एन.एन.एम. के सापेक्ष 27 स्टॉफ नर्स एवं 5 ए.एन.एम. की तैनाती की गयी थी।

संविदा कर्मियों को मानदेय का भुगतान उनकी उपस्थिति एवं कार्य सत्यापन के उपरान्त किया जाए।

वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देशः–

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु जारी किये गये ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जिस कार्यक्रम/मद में जिस सीमा तक धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक व्यय किया जाए। साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद में समस्त भुगतान पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम/2012–13/लेखा/पी.एफ.एम.एस./187/5067–2 दिनांक 04.02.2015 के अनुसार पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेण्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पृष्ठांकन : एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./11/2015–16/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, एस.पी.एम.यू.–एन.आर.एच.एम. उ0प्र0।
4. स्टेट नोडल अधिकारी, आर.बी.एस.के. परिवार कल्याण निदेशालय उ0प्र0।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण देवीपाटन मण्डल।
6. जिला नोडल अधिकारी, आर.बी.एस.के. जनपद गोण्डा।
7. मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक, एन.आर.एच.एम. गोण्डा।

(डा0 हरिओम दीक्षित)
महाप्रबंधक आर.बी.एस.के.